

उपखण्ड अधिकारी थोड़. मु. सीकर
रामपुरा वनाम गणेशागारि
18.0/2024

प्राप्तिकापी के
समक्ष पर सुनने
के लिये उपरोक्त
में सुनाने वाली
श्री धारा 3
अनुसार

सुनावणी प्रारंभ करत का अवलोकन पर
उक्त मकान की पहचान के कारण पर उक्त
पुत्री के, कावली वास्तु आदेश दिनांक 10/6/24
को पेश है

दिनांक

10/6/24

कावली पेश हो नकीन करत (3).
उक्त पर मकान का समस्त कावली
का अवलोकन किया गया, उक्त मकान की
पहचान के कारण पर उपरोक्त के
सिमाना सुनावणी प्रारंभ के मुद्दा पर
का वही कि कि जगह ही सिमाना
व सिद्धि मुद्दा के सिमाना का संबंध
कावली किना कावली के पक्ष उक्त
उक्त पर संबंध जगह उपरोक्त

4/2/24
श्री धारा 3
अनुसार
10/6/24
श्री धारा 3
अनुसार
IC



उपखण्ड अधिकारी
थोड़ जिला सीकर